

# जिला प्रशासन करनाल ।

## आदेश

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40-3/2020-डी0एम0-(ए) की अनुपालना में तथा मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के कार्यालय के यादी क्रमांक 41/14/2016-5 पोल दिनांक 27.3.2020 द्वारा जारी निर्देशों की पालना में जिला करनाल में लाकडाउन की अवधि में कृषि से जुड़े निम्नलिखित कार्यों/गतिविधियों को लाकडाउन से मुक्त करने के आदेश तुरन्त प्रभाव से पारित किए जाते हैं:-

1. कृषि मशीनरी से सम्बन्धित कस्टम हायरिंग सेन्टर (सी0एच0सी0) का संचालन ।
2. किसानों एवं मजदूरों द्वारा खेतों में कृषि कार्यों का परचालन करने बारे ।
3. फसल कटाई एवं बिजाई से सम्बन्धित कृषि मशीनरी जैसे कम्बाईन हार्वेस्टर व अन्य मशीनरी का अंतर्जिला/अंतर्राज्जीय आवागमन ।
4. कृषि मशीनरी व अन्य कृषि उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स व रिपेयरिंग की दुकानें ।
5. उपरोक्त के अतिरिक्त बीज उत्पादन ईकाईयों को भी जिला करनाल में लाकडाउन से मुक्त किया जाता है ।

उपायुक्त, करनाल ।  
31/3/20

पृष्ठांकन क्रमांक 7736-7742 दिनांक 31.03.2020.

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. पुलिस अधीक्षक, करनाल ।
2. उपमण्डल अधिकारी (ना0), करनाल/असन्ध/इन्द्री/घरौण्डा ।
3. उप कृषि निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, करनाल ।
4. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, करनाल ।

उपायुक्त, करनाल ।  
31/3/20

पृष्ठांकन क्रमांक 7743-7745 दिनांक 31.03.2020.

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़ ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, चण्डीगढ़ ।
3. महानिदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा, पंचकुला ।

उपायुक्त, करनाल ।  
31/3/20